रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 1972/ज्येष्ठ 26, 1894

No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 1972/JYAISTHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th June, 1972

SUBJECT:– *Import Policy for Registered Exporters for the year* 1972-73 (*Amendment No.* 5)

No. 85—ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April 1972 March 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47—ITC(PN)/72 dated 3-4-72.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1. 64	A.74.6	After the existing entry "A.74.6", the following new entry may be added under Cols. 1 to 3.

1	2	3	4	5
A.74·7.	Industrial Electro Magnets, complete with Transformers, Rectifier and control unit.	40%	..	..

2. 115-116	C. 32.1	The existing entry (z) may be a amended to read as under:—
	Col. 4	"(z) *Special Silicone lubricant viz; (i) Memo Glycerine Esters.
		(ii) Bis Stearamide Waxes.
		(iii) High Molecular Weight Alkyl Esters.
		(iv) Synthetic waxes derived from High Molecular Weight Alcohol."
3. 173	Y.3.	After the existing entry "Y.3", the following new entry may be added.

1	2	3	4	5
Y.4.	Electrical insulating material, namely micanite sheets, tubes and rings.	5%	.. (1) The registering authority will bd the Export Promotion Officers at Ports.	

NOTE:—The amendments at 1&3 above are applicable to exports made on or after 1-4-1972

3. Consequent to the amendments referred to at 1&3 of paragraph 2 above, the entries 'Industrial Electro Magnets etc.....A.74·7,-and the 'Electrical insulating may terial, namely micanite sheets, tubes and rings.....Y.4' may be inserted all phabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the product Groups "A. Engineering Goods" & "Y. Miscellaneous Export Products" respectively.

4. The following items are classificable under the product groups mentioned below and fall under the respective serial numbers shown against each:—

A. *Engineering* :

1.	Casted coponents for railway locomotives.	A.7.
2.	Poles (galvanised steel) for tents	A.23-4.
3.	Crank shafts and connecting rods.	A.46.
4.	Forged Components for railway locomotives	A.46.
5.	Petromax—Incandescent made of full brass	A.153.9

B. Chemicals	
1. Hard rubber battery containers	B.62.4.
C. *Plastics*	
1. Plastic toilet seats with chromium plated fittings	C.51.
D. *Leather*	
1. Paint Brushes	D.6.
H. *Handicrafts*	
1. Plastic Rakshabandhan made from imitation jewellery jari and plastic sponges	H.6.4 (x)
2. Indian Rakhi fitted with plastic moti jari.	
3. Foomta (Rakhi)	
4. Ralhi—Plastic	
5. Plastic Rakhi manufactured from polysterene moulding powder	
6. Rakhibandhan	H. 6.4(x)

5. The existing entry "G.11.1.— Biscuits, including Protein Piscuits" appearing on page XXXIV of the Index of the Red Book may be above amended to read as "Biscuits including Protein and Vitamin fortified biscuits." The description of the Product in Col. 2 at page 132 of the afore said Policy Book may also be a amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 जून 1972

विषय:—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 5)

संख्या 85–आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 47–आई०टी०सी० (पी एन)/72, दिनांक 3-4-72 के अंतर्गत अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक रेड बुक (वा० II) में जीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकष्ट किया जाता हैं ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० II) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1. 64	ए. 74.6	वर्तमान प्रविष्टि "ए. 74·6" के बाद कालम 1 से 3 के अन्दर निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाए :—

1	2	3	4	5	
	ए. 74.7	ट्रान्सफारमर, रैक्टीफायर तथा नियंत्रण यूनिट के साथ पूर्ण औद्योगिक विद्युत चुम्बक	40%	—	—
2.	115–116	सी. 32.1 कालम. 4	वर्तमान प्रविष्टि (जेड) को नीचे के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— "(जेड) स्पेशल सिलिकन ल्युब्रिकेंट अर्थात् :— (1) मोनो ग्लायोरिन एस्टर्स (2) बिस स्टीयरेमाइड वैक्स (3) हाई मोलिकुलर वेट एलकाइल एस्टर्स । (4) हाई मोलिकुलर वेट अलकोहल से उत्पन्न सिन्थेटिक वेक्स		
3.	173	वाई. 3	वर्तमान प्रविष्टि वाई-3 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाए :—		

1	2	3	4	5
वाई. 4	विद्युत अवरोधक सामग्री जैसे मिकेनाइट शीट्स, ट्यूब तथा रिंग्स	5%	—	पत्तनों के पजीकरण प्राधिकारी निर्यात के संवर्धन अधिकारी भी होंगे ।

नोट—उपर्युक्त 1 से 3 पर के संशोधन 1–4–1972 को या उसके बाद किए गए निर्यातों के संबंध में अनुज्ञेय हैं ।

1	2	3	4	5

3. उपर्युक्त कंडिका 2 के 1 से 3 पर उल्लिखित संशोधनों के फलस्वरूप प्रविष्टि "औद्योगिक विद्युत चुम्बक आदि ए० 74.7 तथा विद्युत अवरोधक सामग्री, जैसे मिकेनाइट शीट्स, ट्यूब तथा रिंग्स वाई. 4" को उपर्युक्त रेड बुक के सूचक में क्रमशः उत्पाद वर्ग "ए० अभियांत्रिक माल" तथा "वाई० विविध निर्यात उत्पाद" के अंतर्गत उपयुक्त स्थानों पर वर्ण क्रमानुसार शामिल किया जाए।

4. निम्नलिखित मदें नीचे उल्लिखित उत्पाद वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत हैं तथा प्रत्येक के सामने प्रदर्शित तत्संबंधी क्रम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं :—

ए. अभियांत्रिक

1.	रेलवे इंजनों के लिए ढलवें संघटक	ए. 7
2.	टेन्टों के लिए पोल (जस्तीकृत इस्पात)	ए. 23.4
3.	क्रेंक शाफ्ट्स तथा कनेक्टिंग के राड	ए. 46
4.	रेलवे इंजनों के लिए कुटित संघटक	ए. 46
5.	पेट्रामेक्स—सम्पूर्ण पीतल के इनकन्डेसेंट मेड	ए. 153.9

बी. रसायन

1. सख्त रबड़ के बैट्री धारक	बी. 62.4

सी. प्लास्टिक

1. क्रोनियम प्लेटों से फिट किए हुए प्लास्टिक के टायलेट शीट	सी. 51

डी. चमड़ा

1. पेंट ब्रुश	डी. 6

एच० वस्त्रकारी

1.	कृत्रिम आभूषण, जरी और प्लास्टिक स्पन्ज से बने हुए प्लास्टिक रक्षा बंधन	
2.	प्लास्टिक के मोती जरी से जुड़ी हुई भारतीय राखी	एच. 6.4(×)

1	2	3	4	5
3.		फूमता (राखी)		
4.		राखी प्लास्टिक की		
5.		पालिस्टेरिन मोल्डिंग पाउडर से बनी प्लास्टिक की राखी		
6.		रक्षा बंधन		

5. उपर्युक्त रेड बुक के सूचक के पृष्ठ 34 पर की वर्तमान प्रविष्टि "जी. 11.1—प्रोटीन बिस्कुट सहित बिस्कुट" को संशोधित कर "प्रोटीन तथा विटामिन फोर्टिफायड बिस्कुट सहित बिस्कुट" के रूप में पढ़ा जाए।

उक्त नीति पुस्तक के पृष्ठ 132 पर के कालम 2 के उत्पाद के विवरण को भी तदनुसार संशोधित किया जाए।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972